

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
कमांक : शिविरा-माध्य / छाप्रोप्र / बजट आवंटन / 2019-20

दिनांक : 22.01.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय:- पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति (कक्षा 09 से 10) बजट आवंटन।  
प्रसंग:- शासन संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्र कमांक-प.19(2) शिक्षा-6 / 2017 जयपुर, दिनांक 15.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 9 से 10) के वर्ष 2018-19 तक के बकाया लाभार्थियों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक को लेखामद 2202-02-107-05-02-13 केन्द्रीय सहायता मद में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला का नाम	केन्द्रीय सहायता	
			संख्या	आवंटित बजट
1	16289	AJMER	18028	43316100
2	21127	BANSWARA	696	1566000
3	21800	BARAN	468	1053000
4	7236	BHARATPUR	8600	21870000
5	13976	BARMER	1170	2978500
6	3735	BIKANER	5844	15029550
7	17137	BUNDI	1072	3216000
8	8914	DAUSA	8713	23922300
9	20897	DUNGARPUR	823	1851750
10	3282	HANUMANGARH	12547	33100000
11	10196	JAIPUR	2766	8102750
12	13291	JAISALMER	1213	3568200
13	5349	JHUNJHUNUN	1379	3102750
14	13122	JODHPUR	5274	15822000
15	12261	NAGAU	5303	11931750
16	15571	PALI	16710	44450100
17	8468	S.MADHOPUR	3565	8021250
18	14800	SIROHI	366	1098000
TOTAL			94537	244000000

(अखरे रूपये चौबीस करोड़ चालिस लाख मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।

3. वर्ष 2016-17 तक के बकाया विद्यार्थियों का भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से सीधे ही बैंक खातों में जमा करवाई जावे।
4. वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की छात्रवृत्ति राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से करवाई जावे।
5. बजट आवंटन का भुगतान विद्यार्थियों में निम्नानुसार किया जावे :-

क्र.सं.	वर्ष	राशि प्रति लाभार्थी (रु.)
1	2016-17 एवं 2016-17 से पूर्व	2250
2	2017-18	2700
3	2018-19	3000

6. उक्त आवंटित राशि का उपयोग दिनांक 31.01.2020 तक कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. राशि का आवंटन वर्तमान एवं पूर्व वर्षों के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2018-19 तक के शेष रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।

(वी.डी. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 22.01.2020

कमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, \_\_\_\_\_
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर